

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 312 / 2011  
संस्थान दिनांक 22.06.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

**वि रु द्ध**

1. गोकुल पिता बाला, आयु 47 वर्ष
2. रमेश पिता गणस्या, आयु 46 वर्ष
3. दीपक पिता गोकुल, आयु 20 वर्ष,
4. मिथुन पिता रमेश, आयु 25 वर्ष,  
सभी निवासीगण- ग्राम छापरी,  
तहसील अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

**// नि र्ण य //**

**(आज दिनांक 30.07.2015 को घोषित)**

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 186 / 2011 अंतर्गत 342, 323, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 22.06.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 20.05.2011 को समय शाम लगभग 6:00 बजे, गोकुल के मकान के सामने ग्राम छापरी में फरियादी शंकर को खंभे से बांधकर सदोष परिरोध कारित करने, फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, आहत शंकर को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त गोकुल ने आहत शंकर को मुँह पर लात मारकर स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने तथा शेष अभियुक्तगण मिथुन, रमेश व दीपक ने लात-मुक्कों से फरियादी शंकर को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 342, 294, 325, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि आहत चम्पालाल ने दिनांक 28.07.2015 को प्रकरण में राजीनामा किया है, इस कारण उसके विरुद्ध किये गये अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी शंकर का खेत ग्राम छापरी पहलापुरा के पास है। घटना दिनांक 21.05.2011 को शाम 6:00 बजे फरियादी शंकर खेत पर जा रहा था कि खेत के सामने रोड़ पर ग्राम छापरी का गोकुल व मिथुन आये और कहा कि उसे गाँव बुला रहे हैं। फरियादी शंकर उनके साथ छापरी पहलापुरा गोकुल के घर के सामने गये, वहाँ पर ग्राम छापरी के चम्पालाल को खम्बे से रस्सी से बांध रखा था, फरियादी शंकर को गोकुल, व मिथुन व रमेश ने लात-घुसों से मारपीट करने लगे व सभी अभियुक्तों ने फरियादी कमल को चम्पालाल के साथ खम्बे से बांध दिया। अभियुक्त गोकुल ने माँ-बहन की अश्लील देकर कहा कि उसने अभियुक्त गोकुल की पुत्री को भगवा दिया और जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त रमेश ने लकड़ी से फरियादी शंकर व चम्पालाल को पेरों में मारपीट की जिससे चोंटे आई। अभियुक्तगण गोकुल, मिथुन, दीपक ने फरियादी शंकर व चम्पालाल को हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा अभियुक्त गोकुल ने फरियादी शंकर के मुँह में लात मार दी जिससे चोंट आई। घटना में बीच-बचाव राजाराम, मनोज, संजु तथा महेश ने किया। पुलिस ने फरियादी शंकर द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण गोकुल, रमेश, दीपक व मिथुन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 186/2011 अंतर्गत धारा 294, 323, 342, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी संजय की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 10 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त रमेश से साक्षियों के समक्ष एक लकड़ी जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्तगण रमेश, मिथुन, दीपक व गोकुल को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 4 लगायत प्रदर्शपी 7 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे व अनुसंधान के दौरान फरियादी शंकर, साक्षीगण संतोष, महेश, चम्पालाल, संजय उर्फ संजु, राजाराम व मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 342, 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 342, 294, 325, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया, लेकिन किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 20.05.2011 को समय शाम लगभग 6:00 बजे, गोकुल के मकान के सामने ग्राम छापरी में फरियादी शंकर को खंबे से बांधकर सदोष परिरोध कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत शंकर को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त गोकुल ने आहत शंकर को मुँह पर लात मारकर स्वैच्छया घोर उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तों ने लात-मुक्कों से फरियादी शंकर को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी शंकर (अ.सा.1), आहत चम्पालाल (अ.सा.2), राजाराम (अ.सा.3), महेश (अ.सा.4), संजय उर्फ संजु (अ.सा.5), संतोष (अ.सा.6), मनोज (अ.सा.7), प्रमोद उर्फ पप्पु (अ.सा.8), डॉ. अरविंद सत्य (अ.सा.9), रामाश्रय यादव (अ.सा.10) एवं डॉ. जे.पी. पंडित (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारणीय प्रश्न 1, 3 व 4 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है इस संबंध में फरियादी शंकर अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व शुक्रवार शाम लगभग 6:00 बजे की घटना है।

वह अपने खेत छापरी फाटे पर बस से उतरकर खेत पर जा रहा था। रास्ते में अभियुक्त गोकुल एवं मिथुन मोटरसाईकिल से उसके पास आये और कहा कि उसे गाँव में बुला रहे हैं, तब वह उनके साथ उनकी मोटरसाईकिल पर बैठकर बैड़ीपुरा गया। मोटरसाईकिल से नीचे उतरकर उसने देखा कि वहाँ चम्पालाल असा 2 को रस्सी से एक खम्बे पर बांधा हुआ था। उसके बाद चारों अभियुक्तों ने उसके साथ डंडों एवं लात-मुक्कों से मारपीट की। अभियुक्त गोकुल ने उसे भी रस्सी से चम्पालाल के पास बांध दिया तथा गोकुल एवं रमेश ने डंडे से मारा था जो उसके पैर में डंडा लगा, चम्पालाल को भी डंडे से मारा था जो उसके पैर पर लगा। गोकुल ने उसके मुँह पर लात मारी थी, जिससे उसके सामने के दो दाँत टूट गये। घटनास्थल पर आधे घंटे बाद राजाराम एवं संजु आ गये जिन्होंने उसे एवं चम्पालाल को छुड़ाया तथा अंजड़ लेकर लाये और उनका ईलाज पहले अंजड़ तथा फिर बड़वानी हुआ था। वह बड़वानी से प्रातःकाल थाना अजड़ पर रिपोर्ट करने आया था, उसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पिछले 20 वर्षों से अंजड़ में निवास कर रहा है और ग्राम छापरी का मूल निवासी है। उसकी भूमि ग्राम छापरी में 1.70 डेसीमल है जो रोड़ से लगभग 1000 फीट की दूरी पर है। उसके खेत से सड़क पर जा रहा व्यक्ति दिखाई देता है। उसे अभियुक्त गोकुल एवं मिथुन बुलाने आये उस समय वह सड़क पर था, किसने बुलाया था, उसके बारे में दोनों अभियुक्तों ने नहीं बताया था। पहलापुरा में उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसे छुड़ाने के लिए शाम से 7-8 बजे का समय होगा, उस समय चम्पालाल एवं वह अकेला था। वह अंजड़ रात्रि के 9 बजे आ गया था। उसके दाँत और जाँघ से रक्त निकल रहा था। उसके कपड़े रक्त से भरे हुए थे। उसने डॉक्टर जावेद के यहाँ अपना ईलाज कराया था। उसने डॉक्टर जावेद को बताया था कि उसे चोंटे मारपीट में आई थी और उसने उस समय थाना अंजड़ पर रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका ईलाज शासकीय चिकित्सालय अंजड़ में नहीं हुआ, वह बड़वानी तथा अंजड़ थाने के सामने से गया था और अंजड़ थाने पर उसने कोई रिपोर्ट नहीं की थी। वह घटना के दूसरे दिन थाना अंजड़ दोपहर 11 बजे गया और उसके बाद वह जिला चिकित्सालय बड़वानी चला गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बड़वानी अस्पताल में चिकित्सक को बता दिया था कि उसे मारपीट में चोंटे आई थी। उसके साथ रिपोर्ट करने उसका बड़ा पुत्र महेश आया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसने रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में यह बताया था कि उसे अभियुक्त गोकुल एवं मिथुन मोटरसाईकिल पर ले गये थे और अभियुक्त गोकुल एवं रमेश ने उसके साथ डंडे से मारपीट की थी, जिससे उसके पैर पर चोंट आई थी। उसने पुलिस को यह भी बता दिया था कि लात मारकर मुँह चोंट आकर दाँत टूट गये थे। यदि उक्त बातें प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट

एवं प्रदर्शनी 1 के पुलिस कथन में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि चम्पालाल ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी अभियुक्तों से घटना के पूर्व कोई रंजिश नहीं थी और बोलचाल भी बंद नहीं थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह पैदल जाते समय मुँह के बल गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी या अभियुक्तों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी अथवा उसने असत्य रिपोर्ट लिखाई है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. चम्पालाल असा 2 का कथन है कि ढेढ़ वर्ष पूर्व शाम 6-7 बजे वह जानवरों को चराकर अपने घर ला रहा था, तभी अभियुक्तगण हाथ में बड़ी लकड़ी लेकर आये और उसके साथ मारपीट की। उसे अभियुक्तों ने कालम से बांध दिया था तथा बांधने के बाद रमेश एवं गोकुल फरियादी शंकर को लेने खेत पर आये तथा शंकर को उसके साथ रस्सी से बांध दिया और अभियुक्तों ने शंकर के साथ भी मारपीट की। साक्षी ने उसका इलाज बड़वानी अस्पताल में होना बताया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त दीपक ने उसे पत्थर से मारा था, तब उसने हाथ अड़ा दिया था, इस कारण वह पत्थर उसे नहीं लगा था उसे पीठ पर ईट लगी थी और अभियुक्त रमेश ने लकड़ी से मारा था तथा अभियुक्तों ने उसके साथ लात-घुसों से मारपीट की थी।

10. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह अस्पताल में लगभग 10 दिन तक भर्ती रहा था, वह घटना में बेहोश हो गया था, इसलिए उसे याद नहीं है कि उसे पुलिस ने भर्ती किया था या परिजन ने किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह थाने पर रिपोर्ट करने नहीं गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी अथवा वह अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना दिनांक एवं वार की जानकारी नहीं है। अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट उसके घर से थोड़ी दूर तलाई में की थी। साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है। साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्शनी 1 में आये छोटे-छोटे विरोधाभास एवं विसंगति के संबंध में साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि घटना के समय वह बेहोश हो गया था, इसलिए उसे याद नहीं है कि पुलिस ने भर्ती किया था या परिजन ने किया था, ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों में आये थोड़े बहुत विरोधाभासों से अभियोजन की सम्पूर्ण कथा संदेहास्पद नहीं हो जाती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि न्यायालय परिसर में आने के बाद वह अधिवक्ता से मिलने गया था और उसे शासकीय अधिवक्ता और उसके अपने अधिवक्ता ने कथन समझाये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे रस्सी से नहीं बांधा था अथवा मारपीट नहीं की थी अथवा वह शंकर के कहने पर असत्य कथन कर रहा है।

11. राजाराम असा 3, रमेश असा 4, संजय उर्फ संजु असा 5, संतोष असा 6 तथा मनोज असा 7 ने भी अभियुक्तों द्वारा शंकर एवं चम्पालाल को बांधकर उनके साथ मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। राजाराम असा 3 का यह भी कथन है कि वह छापरी पर फाटे पर आ रहा था तब अभियुक्त गोकुल एवं रमेश मोटरसाईकिल पर शंकर को बैठाकर ले जा रहे थे, फिर शंकर ने वापस बुलाया तो वह मोटरसाईकिल से गाँव की ओर गोकुल की दुकान पर गया। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि शंकर एवं चम्पालाल को कॉलम से बांधकर अभियुक्तों ने उसके साथ हाथ-थप्पड़ से मारपीट की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रमेश एवं गोकुल टंटिया भाई के खेत के पास से शंकर को ले जाते हुए दिखे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके सामने शंकर के साथ कोई मारपीट नहीं की थी अथवा वह शंकर के कहने पर असत्य कथन कर रहा है। इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्शपी 2 में मामूली विरोधाभास है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के लगभग 1 वर्ष बाद साक्षी का कथन न्यायालय में हुआ है, ऐसी स्थिति में मामूली विरोधाभास से साक्षी के सम्पूर्ण कथन अश्विसनीय नहीं हो जाते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शंकर और चम्पालाल को किसने बांधा था वह उसने नहीं देखा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

12. महेश असा 4 का कथन है कि अभियुक्तों ने उसके पिता फरियादी शंकर एवं चम्पालाल को छापरी में खम्बे से बांध दिया था और मारपीट कर रहे थे उसके पिता शंकर को रमेश ने लकड़ी से मारपीट की और अभियुक्त गोकुल ने उसके पिता को लात मार दी थी, जिससे उनके आगे के दो दाँत टूट गये थे। उसके पिता को कमर एवं सीने पर चोटें आई थी। फिर वह अपने पिता को घटनास्थल से अंजड़ लेकर आया और उनका ईलाज अंजड़ तथा बड़वानी में कराया था। बचाव पक्ष की आरे से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता को बांधते हुए नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि बंधा हुआ देखा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल के आसपास उसके पिता के पास बहुत भीड़ थी और भीड़ ने कोई मारपीट नहीं की थी और भीड़ में कोई चर्चा भी नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पिता का प्राथमिक ईलाज चिकित्सक मंसूरी से करवाया था और उसके बाद अंजड़ चिकित्सालय में बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना की रात्रि को थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए रात्रि में कोई रिपोर्ट नहीं की और अस्पताल पहुँचने तक भी कोई रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट उसने थाना अंजड़ पर लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके पिता के साथ मारपीट नहीं की थी अथवा भीड़ ने उसके पिता को बांधकर मारपीट की थी अथवा वह रंजिशवश अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

13. संजय उर्फ संजु असा 5 ने भी शंकरलाल एवं चम्पालाल को खम्बे से बंधे हुए देखने और उनके मुँह से रक्त निकलते देखने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्तगण शायद शंकरलाल एवं चम्पालाल के साथ मारपीट कर चुके थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने शंकरलाल को बांधते हुए और मारपीट करते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तब वहाँ काफी भीड़ थी, जो बातचीत कर रहे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि शंकरलाल के पुत्र ने बताया कि अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की थी इसलिए वह अभियुक्तों को जानता है। वह घटना के पूर्व अभियुक्तों को नहीं जानता था।

14. संतोष असा 6 का कथन है कि महेश द्वारा फोन पर यह बताने कि उसके पिताजी के साथ अभियुक्तगण मारपीट कर रहे हैं, ग्राम छापरी जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उसके पिता को एक खम्बे पर अभियुक्तों ने बांधकर रखा है और अभियुक्तगण लट्ठ एवं लात-घुसों से मारपीट कर रहे हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त गोकुल फरियादी शंकर से पूछ रहा था कि उसकी पुत्री को कहा भगाया है, फिर उसने एवं उसके भाई ने अपने पिता को अभियुक्तों से छुड़ाया था और थाने पर टेलीफोन से सूचना दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पिता को वे लोग घटना के दूसरे दिन अंजड़ अस्पताल और उसके बाद बड़वानी अस्पताल ले गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तब वहाँ गाँव के बहुत से व्यक्ति उपस्थित थे। और उसमें अभियुक्तगण भी खड़े थे। **(साक्षी से पूछे गये उक्त प्रश्न से अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित होती है।)** साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने पिता को छुड़ाकर सीधे घर लेकर आया। उसने एवं उसके पिता ने शाम तक थाना अंजड़ पर कोई रिपोर्ट नहीं की थी उसने उसके पिता का ईलाज डॉक्टर जावेद से कराया था। उसके पिता के सिर मुँह एवं कान में चोटें होकर रक्त निकल रहा था, जिससे उनके कपड़े खराब हो गये थे, लेकिन उसने उक्त कपड़े पुलिस को जप्त नहीं करवाये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पिताजी के साथ अभियुक्तों ने कोई गौली-गलोच व मारपीट नहीं की थी अथवा ग्राम छापरी के अन्य लोगों ने उसके पिता को बांध दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों से रंजिश होने के कारण असत्य कथन कर रहा है।

15. मनोज असा 7 ने फोन से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम छापरी जाने और अभियुक्तों से बातचीत करना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि जब वह ग्राम छापरी पहुँचा था तब शंकर को और चम्पालाल को स्कूल के खम्बे से बंधा देखा था तथा शंकर के साथ अभियुक्तगण लकड़ी एवं हाथों से मारपीट कर रहे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि शंकर को उन लोगों ने छुड़ाया और उन्हें पहले अंजड़ अस्पताल, फिर बड़वानी अस्पताल ले गये। बचाव पक्ष की

ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जहाँ पर फरियादी बंधा था वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और अभियुक्त भी थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने गाँव वालों को पूछा कि शंकर को क्यों बांधा है, तो गाँव वालों ने कहा कि शंकर को उन्होंने बांधा है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह जब तक रहा उस समय शंकर खम्बे से बंधा था और गाँव वाले दूर थे, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण फरियादी शंकर के साथ मारपीट कर रहे थे और गाँव वालों ने पुलिस को शंकर को छोड़ने से मना कर दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि शंकर का स्वास्थ्य खराब होने से उस समय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की थी और उसे ईलाज के लिए पहले अंजड़ अस्पताल फिर बड़वानी अस्ताल ले गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि शंकर एवं महेश उसके दोस्त हैं और मोहल्ले में रहते हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि महेश एवं शंकर से दोस्ती के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

16. प्रमोद उर्फ पप्पु असा 8 जप्ती पंचनामों का साक्षी है, लेकिन उक्त साक्षी ने प्रदर्शपी 3 से 7 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। संभवतः उक्त साक्षी जानबूझकर अभियोजन के पक्ष में कथन नहीं कर रहे हैं। चूँकि अभियुक्तों ने अपनी गिरफ्तारी स्वीकार की है तो ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के पक्षविरोधी हो जाने मात्र से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. डॉ. जे.पी. पंडित असा 11 का कथन है कि दिनांक 21.05.11 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंजड़ में फरियादी शंकर पिता मोतिया, निवासी अंजड़ को संतोष पिता शंकरलाल मारपीट में चोट आने से ईलाज के लिए लेकर आया था। उसके द्वारा शंकरलाल का परीक्षण करने पर उसके बायें हाथ पर सूजन, बायें तरफ जबड़े, इनसाईजर दाँत टूटा हुआ, दाहिनी जांघ पर 6X3 इंच एवं 4X2 इंच का सूजन तथा बायीं जांघ पर 6X4 इंच की सूजन होना पाई गई थी। उक्त आहत को सीने में दर्ज होना पाया गया, जिसे आगामी ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर किया था। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमाणित किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आहत शंकरलाल के एक्सरे परीक्षण में अस्थि भंग की चोट नहीं आना बताया है और एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 11 प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने आहत का एक्सरे परीक्षण नहीं हुआ था और उसने आहत को अस्थि भंग की चोट नहीं पाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति मूँह के बल गिर जोय तो उक्त चोटें आना संभव है, लेकिन शंकर असा 1 ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे गिरने से चोट आई थी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जे.पी. पंडित असा 11 की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।



18. डॉ. आरविंद सत्य असा 9 का कथन है कि दिनांक 21.05.11 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंजड़ से भेजे गये आहत शंकरलाल पिता मोतिया, निवासी अंजड़ के दाँत के एक्सरे का परीक्षण करने की सलाह दी थी और उक्त एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी 8 देखने पर उसने पाया कि उसके ऊपरी जबड़े के दाहिने एवं बायीं और सेन्ट्रल इनसाईजर दाँत नहीं थे और दोनों दाँत उखड़े हुए थे। साक्षी ने अपना एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है और ए से ए भाग पर अपेन हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि 50 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के दाँत स्वतः गिरने लग जाते हैं, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति के खानपान की आदतों से इसका असर पड़ता है लेकिन बचाव पक्ष की ओर से आहत को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसके दाँत मारपीट या चोंटे आने से नहीं गिरे थे, बल्कि स्वतः गिरे थे। ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकारोक्ति से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

19. सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय असा 10 का यह कथन है कि दिनांक 21.05.2011 को थाना अंजड़ पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत शंकर को खम्बे से बांधकर मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके आधार पर उसने प्रदर्शपी 1 का अपराध दर्ज किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 22.05.2011 को घटनास्थल छापरी बेड़ीपुरा पहुँचकर प्रदर्शपी 10 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त रमेश के पेश करने पर एक लकड़ी प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी शंकर के द्वारा थाना अंजड़ पर दिनांक 20.05.11 को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और उसी दिनांक को शंकर या अन्य किसी ने घटना के संबंध में थाना अंजड़ में कोई सूचना नहीं दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आहत को चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आहतों का जिला चिकित्सालय बड़वानी का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास अन्य व्यक्तियों के मकान हैं, लेकिन उन व्यक्तियों ने घटना के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था तब उसे वहाँ लकड़ी एवं रस्सी नहीं मिले इसलिए उसने जप्त नहीं किया था।

20. अभियुक्त विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की रिपोर्ट विलम्ब से की गई है और अभियोजन साक्षी के न्यायालय कथन एवं पुलिस कथन में विरोधाभास है तथा अभियुक्तों से रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है उनका यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षीगण फरियादी से हितबद्ध है तथा आहत के पुत्र एवं पुत्र के मित्र है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है।

21. यह सही है कि घटना दिनांक को इस घटना की कोई रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड़ में नहीं कराई गई है, लेकिन शंकर असा 1 सहित सभी साक्षियों ने यह स्पष्ट किया है कि शंकर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी और पहले प्रायवेट अस्पताल और फिर अजड़ अस्पताल में तत्पश्चात् बड़वानी अस्पताल में शंकर का ईलाज कराया था और उसके दूसरे दिन इस घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ में की थी। अभियुक्त गोकुल की पुत्री को किसी अन्य के साथ जाने की बात को लेकर अभियुक्तों द्वारा शंकर असा 1 को कॉलम से बांधकर लात-घुसों एवं लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में अभियोजन के सभी साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 लिखाने में हुए विलम्ब का भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन के साक्षियों की ओर से दिया गया जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई भी आधार प्रतीत नहीं होता है। शंकरलाल असा 1 का स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त गोकुल ने उसके मुँह पर लात मारी थी, जिससे उसके सामने के दो दाँत टूट गये थे। डॉ. अरविंद सत्य असा 9 ने आहत शंकरलाल के सामने के दो इनसाईजर दाँत को उखड़े हुए पाये थे तथा एकसरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है। इस घटना की विवेचना रामाश्रयण यादव असा 10 द्वारा की गई है तथा डॉक्टर जे.पी. पंडित असा 11 ने आहत का उपचार किया है। उक्त डॉक्टर तथा पुलिस अधिकारी लोक सेवक है और उनकी अभियुक्तों से कोई रंजिश या आहत साक्षियों से कोई भी हितबद्धता नहीं है।

22. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों ने शंकर असा 1 को कॉलम से रस्सी से बांधकर उसे स्वेच्छया सदोष परिरोध किया तथा उसको सख्त अथवा बोथरी वस्तु डंडे, लात-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा अभियुक्त गोकुल ने शंकरलाल के मुँह में लात मारकर उसके दो दाँत तोड़कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्तों का उक्त अपराध भा.द.स. की धारा 342, 323 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त गोकुल, रमेश, दीपक एवं मिथुन को भा.द.स. की धारा 342, 323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

23. जहाँ तक भा.द.स. की धारा 325 का अपराध है, वहाँ आहत शंकरलाल असा 1 ने गोकुल द्वारा उसके मुँह में लात मारने से उसके दाँत टूटना बताया है। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 325 का अपराध केवल अभियुक्त गोकुल के विरुद्ध प्रमाणित होता है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 325 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। साक्षियों का यह भी कथन नहीं है कि शेष अभियुक्तों ने अभियुक्त गोकुल के साथ मिलकर शंकरलाल को स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त रमेश, दीपक एवं मिथुन के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 325/34 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त गोकुल पिता बाला को भा.द.स. की धारा 325 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा शेष अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 325 तथा 325/34 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 और 5 के संबंध में

24. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में शंकर असा 1 का कथन है कि गोकुल ने उसे कहा था कि जाने से मार डालेगा, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से उसे संत्रास कारित हुआ। शेष साक्षियों ने भी अभियुक्तों द्वारा आहतों को लोक स्थान पर अश्लील शब्द कहे या उन्हें जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 294, 506 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धाराओं के अपराध से अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है।

25. चूँकि अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 323, 342 और अभियुक्त गोकुल को भा.द.स. की धारा 325 में भी दोषसिद्ध घोषित किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

### **पुनश्च:-**

26. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित है तथा विचारण का सामना नियमित रूप से कर रहे हैं। अतः उन्हें अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

27. यह सही है कि अभियुक्तगण गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित हैं तथा उसने विचारण का शीघ्रता से सामना किया है, लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से मामूली विवाद को लेकर फरियादी को शंकर को लात-मुक्कों व लकड़ी से स्वैच्छया उपहति कारित की, इस कारण अभियुक्तगण सहानुभूति के पात्र प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय अभियुक्तगण मिथुन, रमेश एवं दीपक एवं गोकुल को भा.दं.सं. की धारा 323 में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 500-500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 7-7 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगतेंगे। इसी प्रकार अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 342 में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 500-500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 7-7 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगतेंगे। इसी प्रकार अभियुक्त गोकुल को आहत शंकर के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए भा.द.स. की धारा 325 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 2 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये। अभियुक्तों द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28. अभियुक्तों द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर उसमें से रुपये 2000/- अपील अवधि पश्चात् आहत शंकर को द.प्र.सं. की धारा 357 अनुसार प्रदान किये जाये।

29. प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जायें। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

30. अभियुक्त गोकुल के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

31. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त गोकुल को अविलम्ब निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 312/2011 (शासन  
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध गोकुल आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का  
प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- गोकुल पिता बाला, आयु 47 वर्ष  
निवासी- ग्राम छापरी,  
तहसील अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 22.05.2011

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,  
जिला-बड़वानी, म0प्र0